# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी का नाम | : | सुश्री अमृता खण्डेलवाल (आर॰ए॰एस॰) |
| प्रकरण संख्या | : | 12/2023 |
| दायर दिनांक | : | 23.06.2023 |
| निर्णय दिनांक | : | 19.12.2025 |

1- प्रेमचन्द्र पुत्र स्व. प्रभू जाति कोली निवासी सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा
2- मनभरी पुत्र प्रभू पत्नि गोकुल जाति महावर निवासी सैंथल हाल निवासी गिरधरपुरा तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंथल जिला दौसा

अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

## –: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम सैंथल जिला दौसा का निवासी है तथा अनुसुचित जाति के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड होल्डर की हैसियत से आवश्यक पक्षकार है। ग्राम सैंथल में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1819 रकबा 0.22 है0 सिवायचक भूमि स्थित थी उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता को 16.12.1988 को विधिवत रूप से आवंटन की गई थी उक्त आवंटन के आधार पर प्रार्थीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण संख्या 107 तस्दीक किया गया था। जिसमें खातेदारी प्रभू पुत्र भौरीलाल जाति कोली के नाम से तस्दीक किया गया था उसके पश्चात दिनांक 31.10.2001 के गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 386 दिनांक 31.10.2001 को तस्दीक किया गया था तथा जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में प्रभू पुत्र भौरीलाल साकिन देह दर्ज किया गया उसके पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई उसमें प्रार्थी के पिता की जाति कोली भूलवश अंकित नही की गई। इसी प्रकार संवत 2071 से 2074 की जमाबंदी में प्रभू पुत्र भौरीलाल ही अंकित है जबकि उसकी जाति अंकित नही है।

गैर खातेदारी से जो खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 386 गैर खातेदारी से खातेदारी का तस्दीक किया गया जिसमें खसरा नंबर 1819 की जगह पटवारी द्वारा 1829 अंकित कर दिया। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 1819 रकबा 0.22 है0 की खातेदारी इन्द्राज प्रभू पुत्र भौरीलाल जाति जोगी दर्ज है जो जमाबंदी में संवत 2071 से 2074 में दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता की जाति कोली है। राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण ही राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पूर्वज प्रभू पुत्र भौरीलाल की जाति जोगी अंकित हो रहा है वह गलत है, जबकि प्रार्थीगण के पिता की जाति कोली है। प्रार्थीगण के पिता प्रभू का स्वर्गवास हो गया है। तथा प्रार्थीगण उसके वारिस व उत्तराधिकारी है तथा उसकी भूमि पर काविज रहकर काश्त कारते चले आ रहे है। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1819 का इन्द्राज प्रभू पुत्र भौरीलाल जाति जोगी अंकित हो रहा है उसके स्थान पर प्रभू पुत्र भौरीलाल जाति कोली दुरुस्ती कराने हेतु न्यायालय का सरक्षण प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल